भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6502

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण

6502. श्रीमती कमला देवी पाटलेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकरण के बिना फर्जी कंपनियां चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसी कंपनी के लिए एक कतिपय समय अवधि के भीतर आरओसी के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाईयों का वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "बोगस कंपनी" पद परिभाषित नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 में "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" के अनुचित प्रयोग के लिए दण्ड का प्रावधान है, जिसके कारण यदि कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति किसी कंपनी के नाम या उसके संक्षिप्त नाम या नकली नाम या उस नाम के अंतिम शब्द या शब्दों का प्रयोग कर व्यापार या व्यवसाय करता है/करते हैं तो वह व्यक्ति या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक किसी सीमित देयता, या किसी सीमित देयता के साथ प्राइवेट कंपनी के रूप में, जैसा भी मामला हो, विधिवत निगमित न हो, जुर्माना सहित, जो उस नाम या शीर्षक का प्रयोग करने के लिए प्रतिदिन न्यूनतम पांच सौ रुपये और अधिकतम दो हजार रुपये है, के दण्ड का पात्र होगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय के ध्यान में निम्नलिखित अरजिस्ट्रीकृत कंपनियां आई हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है :-

क्र.सं.	**अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों का नाम**	**अधिकारिता वाला कंपनी रजिस्ट्रार**	**अरजिस्ट्रीकृत कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई**
1.	कृषि विपरन विकास लि.	कानपुर	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 के अधीन अभियोजन की शुरुआत की गई है।
2.	भाग्य लक्ष्मी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि उसने यह मामला उस समय के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) (वर्तमान में मंत्रालय) के साथ यह मामला उठाया है और इस वेबसाइट को बंद करने का अनुरोध किया है।
3.	नटराज फाइनेंस	दिल्ली	22.03.2017 को कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा एफआईआर दायर की गई है।
4.	वेबटर्न इंडिया प्रा.लि.	पुणे	12.05.2017 को मामला संख्या 14969/2017 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 के अधीन अभियोजन दायर किया गया है।
5.	तनिष्का इन्फोटेक प्रा. लि.	पुणे	06.10.2016 को राज्य आर्थिक अपराध शाखा को यह मामला भेज दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख है कि निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता और समय समय पर जुड़ने वाले सभी अन्य व्यक्ति, कंपनी के सदस्य होंगे, ज्ञापन में विहित नाम द्वारा कारपोरेट निकाय के रूप में होंगे, इस अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी के सभी कार्य करने के लिए सक्षम होंगे और उक्त नाम का स्थायी उत्तराधिकार होगा जिसके कारण उन्हें चल और अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्ति प्राप्त करने, रखने और निपटाने, संविदा देने का अधिकार होगा और वे मुकदमा चलाने और उन पर मुकदमा चलने के दायी होंगे।

अतः इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के रूप में सभी कार्य करने की क्षमता केवल निगमन की तारीख से ही शुरू होगी, अतः इसके लिए आरंभ से ही रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।

*****